23.5
22

पत्रावली पेश हुई, महंगाई राहत कैम्प एंव प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 ग्राम पन्चायत आलमास मे। विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय प्रपत्र से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

हुक्मीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
...ासन गाँवो के संग अभियान 2023

Signature Not Verified

Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.02.02 15:42:04 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान –सरकार   प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या – 88/23 प्रा०पत्र

1– श्री बालू S/o श्री खेमा बलाई निवासी- हिरानिया तहसील- माण्डल

–प्रार्थी

बनाम

1– श्री सुखदेव S/o श्री मोहन खटीक निवासी- हिरानियां तहसील- माण्डल

2. श्री लादूलाल S/o श्री मिठ्ठीलाल लुहार ——— " ———

3. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार सा० माण्डल त० माण्डल

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांकः– 23-05-23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम हिरानिया पटवार हल्का हिरानियाँ तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी न0 2010/1500 -/- कुल किता 01 रकबा 0.2529 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है।जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 19-05-23 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम हिरानियाँ पटवार हल्का हिरानियां तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 2010/1500 कुल किता 01 रकबा 0.2529 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक [illegible] को 500/- रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.02.02 15:42:04 IST
Reason: SelfAttested

हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2023

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा फीस जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2023